



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 20.03.2026

कार्यकारी आदेश

विषय: घरेलू चाय के लिए "टी मार्क" प्रमाणन योजना, ट्रेसेबिलिटी और डिजिटल मार्केट सुविधा प्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन।

चाय अधिनियम, 1953 (जिसे आगे 'चाय अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 के तहत टी बोर्ड का गठन किया गया है। चाय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, टी बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह चाय की गुणवत्ता सुधारने, सकी खपत बढ़ाने, प्रचार-प्रसार करने और भारत में चाय की मार्केटिंग को बेहतर बनाने जैसे उपाय करे।

और चूँकि, टी बोर्ड को चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959, चाय भांडागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 और चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत कई कानूनी कार्य सौंपे गए हैं, और इन नियंत्रण आदेशों के तहत के तहत, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष, अनुज्ञापन और पंजीकरण प्राधिकारी हैं।

और चूँकि, भारत में चाय की गुणवत्ता को बढ़ावा देने, इसकी खपत बढ़ाने और इसकी विपणन में सुधार करने के लिए, घरेलू बाज़ार में बिकने वाली चाय के लिए एक लोगो/वर्ड मार्क के ज़रिए गुणवत्ता की गारंटी और ट्रेसेबिलिटी का ऐसा प्रणाली लागू करना आवश्यक है जो भरोसेमंद हो, जिसकी पुष्टि की जा सके और जो ग्राहकों को साफ़ तौर पर दिखाई दे।

और चूँकि, टी बोर्ड (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियाँ की शक्तियाँ), 2016 के नियम 4 के तहत, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष के पास भारतीय मूल की चाय के लोगो और वर्ड मार्क्स का प्रबंधन करने की शक्ति है।

अब, इसलिए, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:

1. **'टी मार्क' की शुरुआत:** टी बोर्ड, ने चाय की गुणवत्ता, खपत और विपणन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन और आश्वासन पहचानकर्ता के रूप में "टी मार्क" प्रस्तुत किया है। टी मार्क का मतलब है कि चाय की परीक्षण और सत्यापन एफएसएसआई के नियमों के साथ-साथ नियंत्रण आदेश के तहत तय किए गए तरीकों से किया गया है। बोर्ड ही उस मार्क का स्वत्वधारी होगा।
2. **आदेश का स्वरूप:** यह आदेश व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है और 'टी मार्क' प्रमाणन स्वैच्छिक है।
3. **ऑर्डर का दायरा:** यह 'टी मार्क' प्रमाणन योजना, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत पात्र चाय निर्माता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

4. **'टी मार्क' प्रमाणन योजना:** प्रमाणन योजना के तहत, बोर्ड ये काम करेगा:
- (क) 'टी मार्क' का रूपरेखा बनाना, चयन करना, पंजीकृत करना और लोकप्रिय बनाना;
 - (ख) अधिकृत उपयोगकर्ता आदि द्वारा चिह्न के उपयोग के लिए आवेदन के तरीके और शुल्क जमा करने के तरीके का निर्णय करें।
 - (ग) निर्माताओं को उनकी पैकेजिंग पर मार्क का उपयोग करने के लिए 'टी मार्क' योजना के तहत अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करना ताकि वे अपनी पैकेजिंग पर इस मार्क का इस्तेमाल कर सकें और यह क्रेताओं/उपभोक्ताओं को साफ़ तौर पर दिखाई दे;
 - (घ) समय-समय पर जारी एसओपी में बताई गई शर्तों को पूरा करने पर, अधिकृत यूजर्स को अपनी पैकेजिंग पर 'टी मार्क' का इस्तेमाल करने की अनुमति देना;
 - (ङ) एफएसएसआई के मानकों के साथ-साथ नियंत्रण आदेश के तहत तय किए गए गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित और लागू करना;
 - (च) सप्लाई चेन की अखंडता और उसके मूल स्रोत के संबंध में डिजिटल ट्रेसबिलिटी और सत्यापन सुनिश्चित करें;
 - (छ) पैलबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण सुनिश्चित करना;
 - (ज) गुणवत्ता बनाए रखने में विफलता, लोगो के दुरुपयोग, असत्य घोषणा, ट्रेसबिलिटी उल्लंघन आदि के आधार पर अधिकृत उपयोगकर्ता को जारी की गई अनुमति को निलंबित/रद्द करने की शर्तें निर्धारित करें।
5. **बाज़ार सुविधा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:** 'टी मार्क' की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, टी बोर्ड 'टी मार्क' प्रमाणित चाय की बिक्री के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकता है। यह प्लेटफॉर्म ऐसी चाय की बिक्री को बढ़ावा देगा और उसे आसान बनाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक चलाने के लिए, अधिकृत यूजर्स से एक मामूली शुल्क ली जाएगी।
6. **दिशानिदेश जारी करने का अधिकार:** टी बोर्ड के पास 'टी मार्क' प्रमाणन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर एसओपी स्पष्टीकरण और संशोधन जारी करने का अधिकार होगा।

-हस्त-
(सी. मुरुअन)
उपाध्यक्ष, टी बोर्ड
पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण

सेवा में,

सभी संबंधित हितधारक ----- जानकारी के लिए

प्रति :

1	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड गुवाहाटी और टी बोर्ड कून्नूर	सूचनार्थ
2	सभी विभागाध्यक्ष, टी बोर्ड, कोलकाता	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
3	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए